



क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 76

REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर-10, योजना संख्या-3, ब्रिजी, प्रयागराज - 211019

Email-roprayagraj@uppcb.in

पत्रांक 000846/NGT OA.No. 267/2024

दिनांक 02/09/2024

To,

E-Mail

The Registrar,
The National Green Tribunal
Principal Bench,
New Delhi
E-Mail:- judicial-ngt@gov.in

Subject: Submission of response on Behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance to the order dated 05.08.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 267 OF 2024 in the matter of Khusbu Singh Vs. State of U.P. & Ors.

Sir,


With reference to the subject mentioned above, this is to inform you that in compliance of order issued on dated 05.08.2024 by Hon'ble National Green Tribunal Original Application No. 267 of 2024 Khusbu Singh Vs. State of Uttar Pradesh, the compliance report is submitted for your kind perusal and necessary action please.

Encl:-As Above.

Your Sincerely


(Dr. S. C. Shukla) 02/9/24
Regional Officer**Copy to:-**

1. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
2. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board Lucknow for information.
3. Sri Pradeep Misra, Advocate on Record, Hon'ble Supreme Court/NGT, B-235, Sector-19, Noida, for perusal and necessary action please.


Regional Officer

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
IN ORIGINAL APPLICATION NO- 267 / 2024
IN THE MATTER OF:

Khusbu Singh

Applicant

Versus

State of UP & Ors.

Respondent

Order Date- 05.08.2024

Next Listing Date- 11.09.2024

RESPONSE ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH
POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE TO THE
ORDER DATED 05.08.2024 PASSED BY THE HON'BLE
NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW
DELHI IN ORIGINAL APPLICATION NO. 267 OF 2024 IN THE
MATTER OF KHUSBU SINGH VERSUS STATE OF UP & ORS.

That Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred as Hon'ble Tribunal) vide its order dated 05.08.2024 in Original Application No. 267 of 2024 in the matter of Khusbu Singh versus State of UP & Ors, instructed the following:-

".....5. It is evident that illegal mining was carried out by the project proponents but no punitive ,preventive and remedial action including assessment of compensation and prosecution has been initiated by Uttar Pradesh Pollution Committee Board (hereinafter referred to as 'UPPCB')



1

against the violator(s). However we find it appropriate to implead project proponents so as to give them opportunity and thereafter pass appropriate order in the matter. We accordingly implead following as respondents:

- I. State of Uttar Pradesh thorough Secretary, Environment and Forest, Lucknow
 - II. District Magistrate, Bhadhoi; (District Sant Ravidas Nagar)
 - III. Uttar Pradesh State Pollution Control Board through its Member Secretary, Building. No. TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar Lucknow-226 010
 - IV. Principal Chief Conservator Forest, U.P., Lucknow
 - V. Divisional Forest Officer, Bhadhohi (District Sant Ravidas Nagar)
 - VI. Rana Pratap Singh S/o Shri Gajraj Singh, Ram Balanpur, Jangi Ganj, Gyanpur Bhadhohi (Sant Ravidas Nagar)
 - VII. M/s Lalira Buildocn Pvt Ltd., Smt. Rupa Mishra, W/o Shri Vishnu Kumar Mishra, R/o-69, Anand Lok near Kmla Nehru College, Andresganj, Defence Colony, South Delhi, Delhi
 - VIII. Girdhari Prasad Pathak Village Mahera, Tehsil Bara, District Prayagraj
6. Registry is directed to issue notices to above respondents to enable them to file their response, if any, within three weeks from the date of receipt of notice.
 7. List for further consideration on 11.09.2024."

Response-

1. UPPCB had submitted joint committee report in compliance of order dated- 18.04.2024 passed by Hon'ble National Green

 2

Tribunal in this matter vide reference no G0738/OA 135/2024/24-25 Dated 20.07.2024.

2. Regional Officer, UPPCB, Prayagraj requested Senior Mines Officer, Prayagraj for providing the information about illegal mining activity being carried out by sanctioned mining leases vide letter No. G 00779/NGT OA No 135/2024, dated 16.08.2024 (**Annexure-01**)
3. The Senior Mines Officer, Prayagraj vide their letter no.- 1703/ Khanij/2024-25 Dated 23.08.2024 has informed that no illegal mining was carried out after issuance of mining lease cancellation office order by District Magistrate, Prayagraj. Details of mining lease cancellation office order are tabulated below :-

Sl. No.	Mining Lease	Date of earlier issued NOC from Forest Department	Lease Period	Remarks
01	Khand No. 29, Area-5.0 hectare, Village-Paranipur, Tehsil-Meja/Handia, District-Prayagraj	06.09.2019	29.11.2018 to 28.11.2023	Mining lease cancelled by District Magistrate, Prayagraj vide order No. 1175/Khanij/E- Nilam Balu/2019-20, Dt. 19.10.2019. The copy of the letter dt. 19.10.2019 is being attached herewith as Annexure-02



02	Khand No. 30, Area-5.0 hectare, Village-Paranipur, Tehsil-Meja/Handia, District-Prayagraj	06.09.2019	06.01.2021 to 05.01.2026	Mining lease cancelled by District Magistrate, Prayagraj vide order No. 1281/Khanij/2023-24, Dt. 11.07.2024 The copy of the letter dt. 11.07.2024 is being attached herewith as Annexure-03
03	Khand No. 31, Area-5.0 hectare, Village-Paranipur, Tehsil-Meja/Handia, District-Prayagraj	06.09.2019	05.01.2022 to 04.01.2027	Mining lease cancelled by District Magistrate, Prayagraj vide order No. 1692/Khanij/2024-25, Dt. 22.08.2024 . The copy of the letter dt. 22.08.2024 is being attached herewith as Annexure-04
04	Khand No. 32, Area-5.0 hectare, Village-Paranipur, Tehsil-Meja, District-Prayagraj	06.09.2019	-	Letter of Intent (LOI) of mine area issued vide letter no. 1542/Khanij/2022-23, dt. 09.09.2022 has been cancelled by District Magistrate, Prayagraj vide order No. 1690/Khanij/2024-25, Dt. 22.08.2024. The



				copy of the letter dt. 22.08.2024 is being attached herewith as Annexure-05
05	Khand No. 33, Area-5.0 hectare, Village-Paranipur, Tehsil-Meja, District-Prayagraj	06.09.2019	-	Letter of Intent (LOI) of mine area issued vide letter no. 2514/Khanij/2023-24, dt. 25.01.2024 has been cancelled by District Magistrate, Prayagraj cancelled by District Magistrate, Prayagraj vide order No. 1691/Khanij/2024-25, Dt. 22.08.2024. The copy of the letter dt. 22.08.2024 is being attached herewith as Annexure-06
06	Khand No. 34, Area-5.0 hectare, Village-Bhuipara, Tehsil-Meja, District-Prayagraj	06.09.2019	-	Letter of Intent (LOI) of mine area issued vide letter no. 1545/Khanij/2022-23, dt. 09.09.2022 has been cancelled by District Magistrate, Prayagraj cancelled by District Magistrate, Prayagraj vide



				order No. 508/Khanij/ 2023- 24, Dt. 29.05.2023. The copy of the letter dt. 29.05.2023 is being attached herewith as Annexure-07
--	--	--	--	---


4. The mining lease namely M/s Smt. Shakuntla, Khand No. 31, Village-Paranipur-III, From Tower of High Tension Line Upto Construction of Tower of High Tension Line and Kandla Mawaiya, Ganga River, meja/Handia, District-Prayagraj has obtained consent to operate (CTO) from UPPCB issued vide letter no. 182936/UPPCB/Allahabad (UPPCBRO) /CTO/both/Prayagraj/2023 dated 20.05.2023. After cancellation of mining lease by District Magistrate, Prayagraj and information received from SMO, Prayagraj UPPCB has revoked the CTO of the project proponent vide its letter dated-27.08.2024 (**Annexure-08**).
5. The mining lease namely M/s Shri Arun Kumar Singh, Gata No. 34, Village-Bhuipara, Tandriya and Gondri, Tehsil-Meja, District-Prayagraj has obtained consent to operate (CTO) from UPPCB issued vide letter no. 182188/UPPCB/Allahabad(UPPCBRO)/CTO/both/Prayagraj/2023, dated 30.06.2023. After cancellation of mining lease by District Magistrate, Prayagraj and information received from SMO, Prayagraj on dt. 22.08.2024 UPPCB has revoked the CTO of the project proponent vide its letter dated-27.08.2024 (**Annexure-09**).



6. Regional Officer, UPPCB, Prayagraj requested to Senior Mines Officer, Prayagraj vide letter no. G00819/NGT OA No. 135/2024, Dt. 27.08.2024 to furnish information regarding illegal quantity of sand mining, market value and violation period to impose the Environmental Compensation (EC) **(Annexure-10)**.

The above response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board as respondent no. 3 is submitted before this Hon'ble National Green Tribunal for perusal and kind consideration.

Encl : As above.


02/9/24
(Dr. S. C. Shukla)
Regional Officer
U.P. Pollution Control Board
Prayagraj



क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवाज विकास परिवर्तन कालोनी, सेक्टर-10, योजना संख्या-3, झूँसी, प्रयागराज - 211019

Email-roprayagraj@uppcb.in

Annexure-1

दिनांक 16/08/2024

पत्रांक 600775/ N/A/21A. NO. 135 KOCY

सेवा में

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
प्रयागराज।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 135/2024 खुशबू सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 135/2024 खुशबू सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में दिनांक 23.07.2024 को आदेश पारित किया गया है (छायाप्रति संलग्न), जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है :-

".....7. Simultaneously, by another Gazette notification dated 17 March, 2020, State of Uttar Pradesh declared an area in the stretch of 30 km along both sides of Ganga River falling in the districts of Bhadohi, Prayagraj and Mirzapur as Kachhua Wildlife Sanctuary which is extended to Bhadohi, Prayagraj and Mirzapur- Ganga- Area bounded by both banks of river Ganga in the stretch of 30 km. along main stream of River Ganga; Boundaries- East (downstream of the River - Latitude 25.273769, Longitude- 82.287486 falling in Revenue boundary of village Baripur uparwar, Gyanpur of District Bhadohi; West (upstream of the River- Latitude 25.215000, Longitude 82.194814, falling in revenue boundary of village Kotahri, Meja of District Prayagraj; North-Left Bank of River Ganga; South- Right Bank of River Ganga....."

.....10. We find serious violation of environmental laws and that mining leases were granted illegally but no action for damage to environment has been taken by concerned authorities at all....."

प्रश्नगत प्रकरण की सुनवाई मा0 एन0जी0टी0 में दिनांक 29.08.2024 को नियत है। अवगत कराना है कि प्रश्नगत ओ0ए0 संख्या 135/2024 खुशबू सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 में जिलाधिकारी, प्रयागराज भी प्रतिवादी के रूप में हैं तथा जिलाधिकारी महोदय की तरफ से रिस्पांस रिपोर्ट मा0 अधिकरण में दाखिल की जानी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मा0 अधिकरण द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश के अनुपालन में जनपद-प्रयागराज क्षेत्र में आने वाले Turtle Wildlife Sanctuary में यदि कोई माइनिंग लीज जारी की गयी हो तो तत्सम्बन्ध में आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,
16/8/24
(डॉ0 एस0सी0 शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी महोदय, प्रयागराज।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत ओ0ए0 संख्या 135/2024 में पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय तथ्यात्मक आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2) महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज

(खनन अनुभाग)

24/08/2024

पत्रांक: 1703 / खनिज / 2024-25
सेवा में,

दिनांक: 23/08 / 2024

प्रभारी अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-135/2024 खुशबू सिंह बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-जी००७७९/एन०जी०टी०-ओ०ए० नं०-135/2024 दिनांक 16.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-135/2024 खुशबू सिंह बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन में जनपद प्रयागराज क्षेत्र में आने वाले Tirtle Wildlife Sanctuary में यदि कोई माईनिंग लीज जारी हो गयी हो तो तत्सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज के पत्र सं०-445/15-1 दिनांक 09.08.2024 (संलग्नक-1) द्वारा जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा अन्तर्गत स्थित ग्राम भुईपारा कछार के गाटा संख्या-01 के खण्ड संख्या-33 (क्षे० 5 हे०) एवं खण्ड संख्या-34 (क्षे० 5 हे०) तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज के पत्र सं०-436/15-1 दिनांक 08.08.2024 (संलग्नक-2) द्वारा ग्राम परानीपुर कछार के गाटा संख्या-2क के खण्ड संख्या-29 (क्षे० 5हे०), गाटा संख्या-2क, 45 के खण्ड संख्या-30 (क्षे० 5हे०) गाटा संख्या-01, 61क के खण्ड संख्या-31 (क्षे० 5हे०) व खण्ड संख्या-32 (क्षे० 5हे०), कछुआ वन्य जीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 किमी०) की परिधि में आता है। अतः मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के विभिन्न आदेशों के आलोक में कछुआ वन्य जीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 किमी०) की परिधि के अन्दर बालू खनन पट्टा हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना सम्भव नहीं बताया गया है।

जनपद प्रयागराज के साधारण बालू के नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु एस०ओ०पी० के अनुसार गठित Sub-Divisional Committee (SDC) की बैठक दिनांक 08.08.2024 के कार्यवृत्त संख्या-1483/खनिज/2024-25 दिनांक 08.08.2024 में वन विभाग के उपरोक्त पत्र के आधार पर उक्त खनन क्षेत्रों को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट-2024 से हटाने की संस्तुति की गयी है।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त खनन क्षेत्र जिन पर वन विभाग द्वारा कछुआ वन्य जीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 किमी०) की परिधि में होने के कारण वन अनापत्ति नहीं दी गयी है, के सम्बन्ध में पूर्व में जारी वन अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर खनन क्षेत्र खनन परिहार पर व्यवस्थित किये गये थे। उक्त सभी खनन क्षेत्रों हेतु स्वीकृत खनन पट्टा निरस्त कर दिया गया है, का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	क्षेत्र का विवरण				पूर्व में जारी वन अनापत्ति प्रमाण पत्र का दिनांक	पट्टा अवधि	अभ्युक्ति
	तहसील	ग्राम	खण्ड सं०	रकबा (हे०)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मेजा/दण्डिया	परानीपुर	29	5.00	06.09.2019	29.11.2018 से 28.11.2023	आदेश सं०-1175/खनिज/ई-नीलाम बालू/2019-20 दिनांक 19.10.2019 द्वारा खनन पट्टा निरस्त कर दिया गया है।

24/08/2024

2.	मेजा / हण्डिया	परानीपुर	30	5.00	06.09.2019	06.01.2021 से 05.01.2026	आदेश सं०-1281/खनिज/2023-24 दिनांक 11.07.2024 द्वारा खनन पट्टा निरस्त कर दिया गया है।
3.	मेजा / हण्डिया	परानीपुर	31	5.00	06.09.2019	05.01.2022 से 04.01.2027	आदेश सं०-1692/खनिज/2024-25 दिनांक 22.08.2024 द्वारा खनन पट्टा निरस्त कर दिया गया है।
4.	मेजा	परानीपुर	32	5.00	06.09.2019	-	उक्त खनन क्षेत्र हेतु जारी आशय पत्र सं०-1542/खनिज/2022-23 दिनांक 09.09.2022 को आदेश सं०-1690/खनिज/2024-25 दिनांक 22.08.2024 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
5.	मेजा	परानीपुर	33	5.00	06.09.2019	-	उक्त खनन क्षेत्र हेतु जारी आशय पत्र सं०-2514/खनिज/2023-24 दिनांक 25.01.2024 को आदेश सं०-1691/खनिज/2024-25 दिनांक 22.08.2024 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
6.	मेजा	भूईपारा	34	5.00	06.09.2019	-	उक्त खनन क्षेत्र हेतु जारी आशय पत्र सं०-1545/खनिज/2022-23 दिनांक 09.09.2022 को आदेश सं०-508/खनिज/2023-24 दिनांक 29.05.2023 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त खनन पट्टों से सम्बन्धित निरस्तीकरण आदेश की छायाप्रति संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध है कि तदनुसार प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।
संलग्नक-यथोक्त।

(अजय कुमार यादव)
ज्येष्ठ खान अधिकारी
प्रयागराज।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
4. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, लखनऊ।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।
6. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।

(अजय कुमार यादव)
ज्येष्ठ खान अधिकारी
प्रयागराज।

कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज।

(खनन अनुभाग)

पत्रांक: 1175/खनिज/ई-नीलाम बालू/2019-20

दिनांक: 19 /10 /2019

आदेश

शासनादेश संख्या-1875/86-2017-57(सा0)/20 टी0सी0-1, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ, दिनांक 14.08.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (यथासंशोधित) नियमावली-1963 के अध्याय-4 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन जनपद प्रयागराज के तहसील-मेजा/हण्डिया में गंगा नदी तल स्थित साधारण बालू के खण्ड संख्या-29(ग्राम-परानीपुर-1 ग्राम-पकरी सेवार की सीमा से ग्राम परानीपुर में बारा स्थित शिव मन्दिर तक व मवैया से राका तक) रकबा-5.00 हेक्टेयर क्षेत्र से प्रतिवर्ष 1,00,000 घनमीटर साधारण बालू का खनन व परिवहन करने के निमित्त ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से 05 वर्ष (दिनांक 29.11.2018 से दिनांक 28.11.2023 तक) की अवधि हेतु मे0 प्रकाश इन्टरप्राईजेज, प्रो0 श्री प्रकाश चन्द्र शुक्ला पुत्र श्री लालचन्द्र शुक्ला निवासी-ग्राम परमानन्दपुर, तहसील-हण्डिया, जनपद-प्रयागराज के पक्ष में नीलामी पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है। पट्टा विलेख के शर्तों में उल्लिखित तथा भाग-2 अनुसूची में दर्शाये गये स्वामित्व का भुगतान विवरण के अनुसार पट्टाधारक पर निम्न देयता बकाया है:-

क्र0 सं0	वर्ष	किस्त	बकाया धनराशि का विवरण			देय तिथि
			किस्त की धनराशि	टी0सी0एस10 (किस्त की धनराशि का 2 प्रतिशत)	जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास (किस्त का धनराशि का 10 प्रतिशत)	
1	2	3	4	5	6	7
				92,500.00	4,62,500.00	-
1	प्रथम वर्ष	प्रथम		92,500.00	4,62,500.00	01.01.2019
		द्वितीय	46,25,000.00	92,500.00	4,62,500.00	01.04.2019
		तृतीय	46,25,000.00	92,500.00	4,62,500.00	01.07.2019
		चतुर्थ	46,25,000.00	92,500.00	4,62,500.00	01.10.2019
2	द्वितीय वर्ष	प्रथम	50,87,500.00	1,01,750.00	5,08,750.00	
योग			1,89,62,500.00	4,71,750.00	23,58,750.00	

उपरोक्तानुसार देय धनराशि को जमा करने हेतु उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के नियम-58 एवं 60 में उल्लिखित प्राविधानों एवं रिट याचिका संख्या-30205/2019 मे0 प्रकाश इन्टर प्राईजेज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.09.2019 के अनुपालन में दिनांक 11.10.2019 समय 11:00 बजे पूर्वान्ह कलेक्ट्रेट स्थित संगम सभागार में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष सुनवाई हेतु पट्टाधारक को इस कार्यालय के पत्र संख्या-1105/खनिज/ई-नीलाम बालू/2019-20 दिनांक 04.10.2019 द्वारा ईमेल/पंजीकृत डाक से नोटिस निर्गत किया गया। दिनांक 11.10.2019 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा सुनवाई की गयी। सुनवाई के समय विभाग की ओर से खान निरीक्षक, प्रयागराज व पट्टाधारक श्री प्रकाश चन्द्र शुक्ला की ओर से उनके बड़े भाई श्री खेमचन्द्र शुक्ला पट्टाधारक प्रतिनिधि के रूप में सुनवाई हेतु उपस्थित हुए। सुनवाई में पट्टाधारक प्रतिनिधि द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि दिनांक 22.05.2019 को पट्टा निरस्त करने के लिए व ओ0टी0पी0 बन्द करने के लिए आवेदन दे दिया गया था। पट्टा निरस्त करते हुए बाकी धनराशि रूपया वापस करने का अनुरोध किया गया।

सम्बन्धित पत्रावली का परिशीलन किया गया। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उपरोक्त नीलामी पट्टा 05 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत/निष्पादित है, जिसमें प्रथम वर्ष के लिए नीलामी पट्टा की देय धनराशि का निर्धारण उस क्षेत्र के लिए विज्ञापित में अंकित खनन योग्य साधारण बालू की वार्षिक मात्रा (1,00,000 घनमीटर) को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के दूसरे चरण (ई-नीलामी) में प्राप्त सर्वोच्च रायट्टी की दर (रूपया 185.00 प्रति घनमीटर) से गुणा



कर निर्धारित किये जाने तथा अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष के नीलामी पट्टा की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये नीलामी पट्टा की देय धनराशि की गणना किये जाने का प्राविधान है। नीलामी पट्टा प्रारम्भ होने के उपरान्त पट्टावधि (05 वर्ष) की समाप्ति के पूर्व पट्टा क्षेत्र में उपलब्ध साधारण बालू की मात्रा अथवा नीलामी पट्टा की देय धनराशि में संशोधन किये जाने अथवा पट्टावधि (05 वर्ष) की समाप्ति के पूर्व पट्टाधारक द्वारा जमा धनराशि उन्हें वापस किये जाने के सम्बन्ध में उक्त नियमावली-1963 अथवा उक्त शासनादेश दिनांक 14.08.2017 में कोई प्राविधान नहीं है। उक्त शासनादेश दिनांक 14.08.2017 के प्रस्तर-20 के शर्त संख्या-01 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुंच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।"

उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पट्टाधारक को अपना मामले बताने हेतु युक्ति युक्त अवसर प्रदान किया गया, परन्तु पट्टाधारक द्वारा जान-बूझकर नीलामी पट्टा के नियमों, प्रसंविदाओं और शर्तों का उल्लंघन किया गया है।

अतः पट्टाधारक द्वारा प्रतिभूति के रूप में जमा की गयी धनराशि समायोजन करते हुए जनपद प्रयागराज के तहसील-मेजा/हण्डिया स्थित गंगा नदी तल के बालू क्षेत्र खण्ड संख्या-29(ग्राम-परानीपुर-1 ग्राम-पकरी सेवार की सीमा से ग्राम परानीपुर में बारा स्थित शिव मन्दिर तक व मवेया से राका तक) के 5.00 हेक्टेयर क्षेत्र से प्रतिवर्ष 1,00,000 घनमीटर साधारण बालू का खनन व परिवहन करने के निमित्त मे0 प्रकाश इन्टरप्राईजेज, प्रो0 श्री प्रकाश चन्द्र शुक्ला पुत्र श्री लालचन्द्र शुक्ला निवासी-ग्राम परमानन्दपुर, तहसील-हण्डिया, जनपद-प्रयागराज के पक्ष में स्वीकृत उपरोक्त नीलामी पट्टा को उक्त नियमावली-1963 के नियम-58 व 60 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन समाप्त/निरस्त किया जाता है। नीलामी पट्टा निरस्त किये जाने की तिथि तक पट्टाधारक द्वारा नियमानुसार देय उक्त रायल्टी कुल धनराशि ₹0 1,43,37,500.00 (एक करोड़ तैंतालिस लाख सैंतिस हजार पाँच सौ रुपये), टी0सी0एस0 ₹0 3,79,250.00 (तीन लाख उन्यासी हजार दो सौ पचास रुपये) एवं डी0एम0एफ0 ₹0 18,96,250.00 (अठारह लाख छियान्वे हजार दो सौ पचास रुपये) को भू-राजस्व के बकाया के रूप में पट्टाधारक से वसूली करने हेतु उनके विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र (Recovery Certificate) जारी किया जाय। पट्टाधारक का नाम आगामी 02 वर्ष की अवधि हेतु काली सूची में डाला जाता है। पट्टाधारक राज्य सरकार या अनुवर्ती प्रस्तावक के पक्ष में सम्बन्धित पट्टा क्षेत्र के लिए पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र के अन्तरण हेतु अनापत्ति प्रस्तुत करेगा।

(भानु चन्द्र गोस्वामी)

जिलाधिकारी, प्रयागराज।

पत्रांक: /खनिज/ई-नीलाम बालू/2019-20 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त, प्रयागराज।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज।
5. सम्बन्धित पट्टाधारक मे0 प्रकाश इन्टरप्राईजेज, प्रो0 श्री प्रकाश चन्द्र शुक्ला पुत्र श्री लालचन्द्र शुक्ला निवासी-ग्राम परमानन्दपुर, तहसील-हण्डिया, जनपद-प्रयागराज।

(भानु चन्द्र गोस्वामी)

जिलाधिकारी, प्रयागराज।

कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज।

(खनन अनुभाग)

पत्रांक: 1281 / खनिज / 2023-24

दिनांक: 11/07/2024

आदेश

जनपद प्रयागराज के तहसील-मेजा/हण्डिया स्थित गंगा नदी के खण्ड संख्या-30 (ग्राम-परानीपुर-II वारा स्थित शिव मन्दिर से हाई टेन्शन लाइन के टावर तक व इमलौटी) रकबा-5.00 हे० क्षेत्र में मे० महिप कान्सट्रक्शन प्रो० श्री महिप सिंह पुत्र स्व० शेष प्रताप सिंह निवासी बिसेन का पूरा, पो० डहरिया, उरुवा, तहसील मेजा, जनपद प्रयागराज के पक्ष में स्वीकृत साधारण बालू का खनन पट्टा दिनांक 06.01.2021 से 05.01.2026 तक 05 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत/निष्पादित है।

पट्टाधारक द्वारा उक्त खनन क्षेत्र हेतु देय डी०एम०एफ० एवं टी०सी०एस० की धनराशि जमा न किये जाने के कारण पत्र संख्या-655/खनिज/2020-21 दिनांक 23.02.2021 द्वारा नोटिस निर्गत करते हुये बकाया धनराशि 15 दिवस के अन्दर जमा करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त खनन क्षेत्र की वरिष्ठ मानचित्रकार, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज, खान निरीक्षक, प्रयागराज तथा खान अधिकारी, प्रयागराज द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 08.06.2021 को जाँच किये जाने पर स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर 1546 घनमीटर साधारण बालू का अवैध खनन पाया गया, जिसके क्रम में पत्र संख्या-2334/खनिज/2021-22 दिनांक 24.06.2021 द्वारा पट्टाधारक के विरुद्ध कारण बताओं नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। पट्टाधारक द्वारा उक्त कारण बताओं नोटिस का अनुपालन नहीं करते हुये मानसून सत्र प्रारम्भ हो जाने के उपरान्त जान-बूझकर वास्तविकता से भटकाने के लिए दिनांक 06.07.2021 को पुनः प्रश्नगत क्षेत्र की जाँच हेतु प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। मानसून सत्र में खनन क्षेत्र की जाँच हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदन नियमानुसार न होने के कारण आदेश संख्या-3434/खनिज/2021-22 दिनांक 12.10.2021 द्वारा निरस्त करते हुये पट्टाधारक को उक्त 1546 घनमीटर साधारण बालू के अवैध खनन हेतु रू० 11,02,940.00 की धनराशि अधिरोपित करते हुये अधिरोपित धनराशि निर्धारित लेखा शीर्षक-'0853' में 30 दिन के अन्दर जमा किये जाने हेतु आदेशित किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध पट्टाधारक द्वारा मा० न्यायालय, आयुक्त प्रयागराज, मण्डल, प्रयागराज में अलीप संख्या-01/2022 मे० महिप कान्सट्रक्शन बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा० न्यायालय के आदेश दिनांक 23.03.2022 के अनुपालन में प्रस्तरवार आख्या तथा प्रश्नगत खनन पट्टे की मूल पत्रावली मा० न्यायालय में उपलब्ध करा दी गयी है। प्रकरण मा० न्यायालय में विचाराधीन है।

पट्टाधारक द्वारा प्रश्नगत खनन क्षेत्र की डी०एम०एफ० एवं टी०सी०एस० की पट्टा प्रारम्भ के दिनांक 06.01.2021 से जून, 2022 तक बकाया धनराशि जमा न किये जाने के कारण पत्र संख्या-1678/खनिज/2022-23 दिनांक 28.09.2022 द्वारा पट्टाधारक के विरुद्ध नोटिस जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर बकाया धनराशि जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

प्रश्नगत खनन क्षेत्र में अवैध खनन की प्राप्त शिकायत के क्रम में आदेश संख्या-474/खनिज/2023-24 दिनांक 23.05.2023 द्वारा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), प्रयागराज की अध्यक्षता में गठित 06 सदस्यीय जाँच टीम द्वारा दिनांक 25.05.2023 को संयुक्त रूप से प्रश्नगत खनन क्षेत्र की जाँच की गयी थी, जिसमें स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर 2160 घनमीटर साधारण बालू का अवैध खनन तथा खनन क्षेत्र में स्थापित सीमा

2

रतग/पिलार क्षतिग्रस्त पाये जाने के कारण पत्र संख्या-889/खनिज/2023-24 दिनांक 08.06.2023 द्वारा पट्टाधारक को विशुद्ध नोटिस जारी करते हुये छत्त अनियमितताओं हेतु शास्त्र के रूप में रू० 8,87,400.00 की धनराशि अधिरोपित करते हुये निर्धारित लेखा शीर्षक में 15 दिन के अन्दर जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। पट्टाधारक द्वारा उक्त का अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है।

इसी बीच पट्टाधारक द्वारा दिनांक 30.10.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये प्रश्नगत खनन पट्टा को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में नोटिस संख्या-167/खनिज/2023-24 दिनांक 02.05.2024 द्वारा उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र के अन्तर्गत हेतु अनापत्ति शपथ पत्र के माध्यम से 15 दिवस के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु पट्टाधारक को निर्देशित किया गया था तथा प्रकरण के निस्तारण हेतु नियम-30 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत खनन क्षेत्र की चरिष्ठ गानधिन्त्रकार, सर्वेक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज तथा खान निरीक्षक, प्रयागराज की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 30.12.2023 को स्थलीय जांच की गयी थी, किन्तु पट्टाधारक द्वारा उक्त नोटिस के क्रम में कोई कार्यवाही न करते हुये, न तो खनन पट्टा से सम्बन्धित वकाया धनराशि जमा की गयी और न ही पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र के अन्तर्गत हेतु अनापत्ति प्रस्तुत की गयी। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 30.10.2023 को उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-30 के तहत विचार योग्य नहीं पाया गया, जिसके कारण पत्र संख्या-167/खनिज/2023-24 दिनांक 02.05.2024 द्वारा जारी अंतिम नोटिस के तहत उपरोक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 30.10.2023 को निरस्त करते हुये उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-59 के अन्तर्गत प्रश्नगत खनन क्षेत्र हेतु वकाया पट्टा किश्त, डी०एम०एफ०, टी०सी०एस० तथा अधिरोपित शास्त्र की धनराशि 30 दिन के अन्दर जमा कर चालान/रसीद की मूलप्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त अन्तिम नोटिस के अनुपालन में पट्टाधारक द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 19.06.2024 प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्यतः यह उल्लेख किया गया कि खनन पट्टा निरस्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.10.2023 के क्रम में संयुक्त टीम द्वारा की गयी स्थलीय जांच में क्षेत्र जलमग्न पाया गया तथा प्रार्थी की आर्थिक तंगी तथा खनन क्षेत्र हेतु जारी ई-एम०एम० 11 रवन्ना में श्रेणी-2 अंकित होने के कारण उक्त नोटिस को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि खान निरीक्षक, प्रयागराज द्वारा दिनांक 30.12.2023 को प्रश्नगत खनन क्षेत्र की स्थलीय जांच में यह पाया गया था कि क्षेत्र के 20 प्रतिशत भाग में गंगा नदी का छिछला पानी है जो लगातार तेजी से कम हो रहा है। चूंकि तत्समय मानसून सत्र समाप्ति के 01 माह बाद नदी का जलस्तर बढ़ा रहता है, जिसके फलस्वरूप मानसून सत्र के उपरान्त 01 या 02 माह खनन क्षेत्र का कुछ हिस्सा जल भराव की स्थिति में रहता है, किन्तु उसके उपरान्त क्षेत्र सूखा एवं खनन योग्य हो जाता है। जहाँ तक ई-एम०एम० 11 रवन्ना में श्रेणी-2 साधारण बालू इंगित होने का प्रश्न है, के सम्बन्ध में सिविल मिस० रिट पिटीशन सं०-19376/2023 मे० महिप कन्सट्रक्शन बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य के सन्दर्भ में पत्र सं०-1038/खनन/2023-24 दिनांक 18.07.2023 द्वारा प्रश्नगत खनन क्षेत्र हेतु जारी प्रपत्र ई-एम०एम० 11 में साधारण बालू कटेगरी-1 इंगित करने हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ से अनुरोध किया गया था, जिसे निदेशालय द्वारा सही कर दिया गया है।

प्रकरण के निस्तारण के पूर्व पट्टाधारक की व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 25.06.2024 को समय अपरान्हन 01:00 बजे स्थान कलेक्ट्रेट निर्धारित किया गया, जिसकी

Q

सूचना पट्टाधारक को पत्र सं०-१०४/खनिज/२०२४-२६ दिनांक १९.०६.२०२४ द्वारा ई-मेल तथा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित की गयी थी। उक्त सुनवाई के समय श्री महिप सिंह उपस्थित हुये और उनके द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र दिनांक १९.०६.२०२४ की प्रति उपलब्ध करायी गयी। उक्त अन्तिम नोटिस के क्रम में पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक १९.०६.२०२४ में कोई ठोस आधार न होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

प्रश्नगत खनन क्षेत्र के सम्बन्ध में माह जून, २०२४ तक बकाया धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं०	पट्टा धर	देय राशियाँ	जमा राशियाँ	अवशेष राशियाँ	देय DMP	जमा DMP	अवशेष DMP	देय TCS	जमा TCS	अवशेष TCS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	प्रथम वर्ष २०२१	२१,००,०००.००	२१,००,०००.००	-	७,१०,०००.००	३,६५,०००.००	३,६५,०००.००	१,६२,०००.००	११,०००.००	११,०००.००
2.	द्वितीय वर्ष २०२२	७६,१०,०००.००	७६,१०,०००.००	-	७,०१,०००.००	२,६०,०००.००	६,३१,०००.००	१,६६,२००.००	-	१,६६,२००.००
3.	तृतीय वर्ष २०२३	६५,०१,०००.००	६१,६३,१०३.००	३३,३७,८०७.००	६,६९,१००.००	-	६,६९,१००.००	१,७१,६००.००	-	१,७१,६००.००
4.	चतुर्थ वर्ष जनवरी २३	१०,००,०२०.००	-	१६,९०,०२०.००	१,६९,००२.००	-	१,६९,००२.००	३७,६००.००	-	३७,६००.००
5.	फरवरी २३	०,४६,०१०.००	-	०,४६,०१०.००	०,४६,०१०.००	-	०,४६,०१०.००	१६,९००.००	-	१६,९००.००
6.	मार्च २३	०,४६,०१०.००	-	०,४६,०१०.००	०,४६,०१०.००	-	०,४६,०१०.००	१६,९००.००	-	१६,९००.००
7.	अप्रैल २३	०,४६,०१०.००	-	०,४६,०१०.००	०,४६,०१०.००	-	०,४६,०१०.००	१६,९००.००	-	१६,९००.००
8.	मई २३	०,४६,०१०.००	-	०,४६,०१०.००	०,४६,०१०.००	-	०,४६,०१०.००	१६,९००.००	-	१६,९००.००
9.	जून २३	०,४६,०१०.००	-	०,४६,०१०.००	०,४६,०१०.००	-	०,४६,०१०.००	१६,९००.००	-	१६,९००.००
योग-		३,०१,१०,०२०.००	२,००,७३,१०३.००	१,००,४६,८७७.००	३०,११,८०७.००	६,०९,०००.००	३६,६६,८०७.००	६,०२,३२१.००	११,०००.००	६,३१,३२१.००

आदेश संख्या-३४३४/खनिज/२०२१-२२ दिनांक १२.१०.२०२१ द्वारा पट्टाधारक पर १५४६ घनमीटर साधारण बालू के अवैध खनन हेतु अधिरोपित धनराशि रू० ११,०२,९४०.०० का प्रकरण मा० न्यायालय, आयुक्त प्रयागराज, मण्डल, प्रयागराज में योजित अलीप संख्या-०१/२०२२ में महिप कान्सट्रक्शन बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश के आधीन होगा।


उक्त खनन पट्टा के सम्बन्ध में Command Center द्वारा weighment without eMM-11 के कुल २३ तथा Volume Mismatch के भी १० ई-नोटिस जारी किये गये हैं, जिसमें कुल देय धनराशि रू० ६,६५,६९०.०० है, जो अभी तक आप द्वारा जमा नहीं किया गया है। उक्त के अतिरिक्त पत्र संख्या-६८९/खनिज/२०२३-२४ दिनांक ०८.०६.२०२३ द्वारा पट्टाधारक के विरुद्ध नोटिस जारी करते हुये शारित के रूप में रू० ८,६७,४००.०० की धनराशि अधिरोपित है।

प्रश्नगत प्रकरण में पट्टाधारक को बकाया धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है, किन्तु पट्टाधारक द्वारा प्रकरण में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। उक्त से स्पष्ट है कि पट्टाधारक जान-बूझकर प्रकरण को लम्बित रख रहा है, जिससे राजस्व क्षति हो रही है। पट्टाधारक को उक्त कृत्य उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-२०२१ तथा पट्टा विलेख की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-२०२१ के नियम-५९ के तहत जनपद प्रयागराज के तहसील-मेजा/हण्डिया स्थित गंगा नदी के खण्ड संख्या-३० (ग्राम-परानीपुर-११) बारा स्थित शिव मन्दिर से हाई टेन्शन लाइन के टावर तक व इमलीटी रकबा-५.०० हे० क्षेत्र में मे० महिप कान्सट्रक्शन प्रो० श्री महिप सिंह पुत्र स्व० शेष प्रताप सिंह निवासी बिसेन का पूरा, पो० डहरिया, उरुवा, तहसील मेजा, जनपद प्रयागराज के पक्ष में स्वीकृत साधारण बालू का खनन पट्टा को एतद्वारा निरस्त किया जाता है। प्रश्नगत खनन क्षेत्र हेतु प्रतिभूति के रूप में जमा धनराशि रू० १७,७५,०००.०० को पट्टा किस्त के मद में बकाया धनराशि रू० १,००,४६,८७७.०० में समायोजित करते हुये अवशेष धनराशि रू० ८२,६७,८७७.०० तथा शारित के रूप में अधिरोपित (रू० ८,६७,४००.०० + ६,६५,६९०.००) कुल धनराशि रू० १५,३३,०९०.०० को निर्धारित लेखा शीर्षक "०८५३" में,

७


डी0एम0एफ0 की बकाया धनराशि रू0 24,06,607.00 को खाता संख्या-50414947697, आई0एफ0एस0सी0 कोड IDIB000A583 इण्डियन बैंक, शाखा कटरा, प्रयागराज में तथा टी0सी0एस0 के मद में देय धनराशि रू0 5,31,321.40 को खनिज विभाग, प्रयागराज के टैन नम्बर-ALDD00931A में पट्टाधारक द्वारा 30 दिन के अन्दर जमा कर चालान/रसीद की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत की जानी होगी। पट्टाधारक द्वारा निर्धारित समय में उक्त बकाया धनराशि जमा कर चालान/रसीद की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की जाती है तो उक्त धनराशि की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र (आर0सी0) जारी की जाए। तदनुसार अन्तिम नोटिस के क्रम में पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.06.2024 में कोई ठोस आधार न होने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुये निस्तारित किया जाता है।


(नवनीत सिंह चहल)
जिलाधिकारी, प्रयागराज।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
2. उपजिलाधिकारी, मेजा, प्रयागराज।
3. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।
4. मे0 महिप कान्सट्रक्शन प्रो0 श्री महिप सिंह पुत्र स्व0 शेष प्रताप सिंह निवासी बिसेन का पूरा, पो0 डहरिया, उरुवा, तहसील मेजा, जनपद प्रयागराज।


(नवनीत सिंह चहल)
जिलाधिकारी, प्रयागराज।

o/c

08/07/2024

कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज

(खनन अनुभाग)

पत्रांक 1692/खनिज/2024-26

दिनांक 22/08/2024

आदेश

क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज के पत्र सं०-जी००७७७९/एन०जी०टी०-ओ०ए० सं०-135/2024 दिनांक 16.08.2024 द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-135/2024 खुशबू सिंह बनाम उ०प्र० राज्य में दिनांक 30.07.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में जनपद प्रयागराज क्षेत्र में आने वाले Tirtle Wildlife Sanctuary में यदि कोई माईनिंग लीज जारी की गयी हो, तो तदसम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-135/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

7. Simultaneously, by another Gazette notification dated 17 March, 2020, State of Uttar Pradesh declared an area in the stretch of 30 km along sides of Ganga River falling in the districts of Bhadohi, Prayagraj and Mirzapur as Kaachhua Wildlife Sanctuary which is extended to Bhadohi, Prayagraj and Mirzapur - Ganga - Area bounded by both banks of river Ganga in the stretch of 30 km. along main stream of River Ganga, Boundaries- East (downstream of the River - Latitude 25.273769, Longitude- 82.287486 falling in Revenue boundary of village Baripur uparwar, Gyanpur of District Bhadohi; West (upstream of the River- Latitude 25.215000, Longitude 82.194814, filling in revenue boundary of village Kotahri, Meja of District Prayagraj); North-Left Bank of River Ganga; South-Right Bank of River Ganga.

10. We find serious violation of environmental laws and that mining leases were granted illegally but no action for damage to environment has been taken by concerned authorities at all.

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज के पत्र सं०-445/15-1 दिनांक 09.08.2024 द्वारा जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा अन्तर्गत स्थित ग्राम भुईपारा कछार के गाटा संख्या-01 के खण्ड संख्या-33 (क्षे० 5 हे०) एवं खण्ड संख्या-34 (क्षे० 5 हे०) तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज के पत्र सं०-436/15-1 दिनांक 08.08.2024 द्वारा ग्राम परानीपुर कछार के गाटा संख्या-2क के खण्ड संख्या-29 (क्षे० 5हे०), गाटा संख्या-2क, 45 के खण्ड संख्या-30 (क्षे० 5हे०) गाटा संख्या-01, 61क के खण्ड संख्या-31 (क्षे० 5हे०) व खण्ड संख्या-32 (क्षे० 5हे०), कछुआ वन्य जीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 किमी०) की परिधि में आता है। अतः मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के विभिन्न आदेशों के आलोक में कछुआ वन्य जीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 किमी०) की परिधि के अन्दर बालू खनन पट्टा हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना सम्भव नहीं बताया गया है।

Sub-Divisional Committee (SDC) की बैठक दिनांक 08.08.2024 के कार्यवृत्त दिनांक 08.08.2024 में वन विभाग के उपरोक्त पत्र के आधार पर उक्त खनन क्षेत्रों को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट-2024 से हटाने की संस्तुति की गयी है।

जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा/हण्डिया स्थित गंगा नदी के साधारण बालू खण्ड सं०-31 (ग्राम-परानीपुर-III हाईटेंशन लाइन के टावर से निर्माणाधीन हाईटेंशन लाइन के टावर तक व कंदला मवेया तक) रकबा 5,00हे० क्षेत्रफल में 1,00,000 घनमीटर वार्षिक साधारण बालू का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु प्रकाशित विज्ञापित दिनांक 16.01.2021 के क्रम में प्राप्त सर्वोच्च दर रु० 89/- प्रति घनमीटर के आधार पर श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री पंजाब सिंह निवासी ग्राम-बिसेनपुर, पोस्ट-डोहरिया, थाना-मेजा, जनपद-प्रयागराज के पक्ष में दिनांक 05.01.2022 से 04.01.2027 तक 05 वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित किया गया है।

(3)

उक्त खनन पट्टा से सम्यन्धित जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास के मद में ₹0 26,22,830.00 तथा टी0सी0एस0 मे मद में ₹0 5,24,566.00 की धनराशि बकाया है।

उक्त के अतिरिक्त पत्र सं0-3265/खनिज/2022-23 दिनांक 04.03.2023 द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर 4,455 घनमीटर साधारण बालू के अवैध खनन हेतु अधिरोपित धनराशि ₹0 22,37,450.00 का नोटिस जारी किया गया था तथा पत्र सं0-808/खनिज/2023-24 दिनांक 07.06.2023 द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर 3,100 घनमीटर साधारण बालू के अवैध खनन तथा खनन क्षेत्र में स्थित पिलर क्षतिग्रस्त पाये जाने तथा पी0टी0जेड कैमरा न लगा होने के कारण शास्ति के रूप में कुल ₹0 12,34,000.00 की धनराशि अधिरोपित करते हुए 15 दिन के अन्दर निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर चालान की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु पट्टाधारक को निर्देशित किया गया था। पत्र सं0-126/खनिज/2024-25 दिनांक 27.04.2024 द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर 2,259 घनमीटर साधारण बालू के अवैध खनन हेतु शास्ति के रूप में ₹0 13,81,010.00 की धनराशि अधिरोपित करते हुए 15 दिन के अन्दर जमा करने हेतु पट्टाधारक को निर्देशित किया गया था। इस प्रकार शास्ति के रूप में कुल अधिरोपित धनराशि ₹0 48,52,460.00 पट्टाधारक द्वारा जमा नहीं किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त निदेशालय द्वारा संचालित UP Mining Decision Support System (upmdss) द्वारा उक्त खनन क्षेत्र के सम्बन्ध में Weightrbridge Notice Issued Summary (Volume Mismatch) Year 2022-24 में कुल 245 वेब-ब्रिज नोटिस धनराशि ₹0 6,54,911.40 तथा Weightrbridge Notice Issued Summary (Weighment Without eMM-11) Year 2022-24 में कुल 234 वेब-ब्रिज नोटिस धनराशि ₹0 62,27,699.00 जारी किया गया है। इस प्रकार वेब-ब्रिज नोटिस की कुल धनराशि ₹0 68,82,610.40 है।

उक्त खनन क्षेत्र हेतु अवैध खनन तथा वेब-ब्रिज नोटिस सहित कुल शास्ति के रूप में अधिरोपित धनराशि ₹0 1,17,35,070.40 है, जो पट्टाधारक द्वारा अभी तक जमा नहीं किया गया है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-135/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन में श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री पंजाब सिंह निवासी ग्राम-बिसेनपुर, पोस्ट-डोहरिया, थाना-मेजा, जनपद-प्रयागराज के पक्ष में जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा/हण्डिया स्थित गंगा नदी के साधारण बालू खण्ड सं0-31 (ग्राम-परानीपुर-III हाईटेंशन लाइन के टावर से निर्माणाधीन हाईटेंशन लाइन के टावर तक व कंदला मवैया तक) रकबा-5.00हे0 क्षेत्रफल का खनन पट्टा दिनांक 05.01.2022 से 04.01.2027 तक 05 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत/निष्पादित है, को प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज के उपरोक्त पत्र दिनांक 08.08.2024 के आधार पर कछुआ वन्य जीव विहार के ईको सेंसिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 किमी0) की परिधि में आने के कारण, उक्त खनन पट्टा को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

उक्त खनन क्षेत्र हेतु प्रतिभूति के रूप में जमा धनराशि ₹0 16,25,000.00 को उपरोक्त शास्ति के रूप में अधिरोपित धनराशि ₹0 1,17,35,070.40 में समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि ₹0 1,01,10,070.40 निर्धारित लेखाशीर्षक '0853', डी0एम0एफ0 के मद में बकाया धनराशि ₹0 26,22,830.00 को खाता सं0-50414947697 आई0एफ0एस0सी0 कोड- IDIB000A584 इंडियन बैंक, प्रयागराज तथा टी0सी0एस0 मे मद में बकाया धनराशि ₹0 5,24,566.00 को टैन नं0-ALDD00931A में जमा कर चालान/रसीद की मूल प्रति कार्यालय में 30 दिवस के अन्दर पट्टाधारक द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, यदि पट्टाधारक द्वारा उपरोक्त बकाया धनराशि निर्धारित समयावधि में जमा कर, चालान/रसीद खनन कार्यालय, प्रयागराज में उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो उक्त बकाया धनराशि की वसूली हेतु पट्टाधारक के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाय।

०२

(नवनीत सिंह चहल)
जिलाधिकारी, प्रयागराज।
०/८
२३/०८/२०२४

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, लखनऊ।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।
5. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।
6. उपजिलाधिकारी, मेजा/हण्डिया, प्रयागराज।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज को उनके पत्र सं०-जी००७७७९/एन०जी०टी०-ओ०ए० नं०-१३५/२०२४ दिनांक १६.०८.२०२४ के सन्दर्भ में।
8. श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री पंजाब सिंह निवासी ग्राम-बिसेनपुर, पोस्ट-डोहरिया, थाना-मेजा, जनपद-प्रयागराज।

२

(नवनीत सिंह चहल)
जिलाधिकारी, प्रयागराज।

०/८
२३/०८/२०२४

कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज

(खनन अनुभाग)

पत्रांक: 1690 / खनिज / 2024-25

दिनांक: 22/08/2024

आदेश

क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज के पत्र सं०-जी००७७७९/एन०जी०टी०-ओ०ए० नं०-135/2024 दिनांक 16.08.2024 द्वारा मा० राष्ट्रीय रहित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-135/2024 खुशबू सिंह बनाम उ०प्र० राज्य में दिनांक 30.07.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में जनपद प्रयागराज क्षेत्र में आने वाले Tirtle Wildlife Sanctuary में यदि कोई माईनिंग लीज जारी की गयी हो, तो तदसम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं०-135/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

7. Simultaneously, by another Gazette notification dated 17 March, 2020. State of Uttar Pradesh declared an area in the stretch of 30 km along sides of Ganga River falling in the districts of Bhadohi, Prayagraj and Mirzapur as Kachhua Wildlife Sanctuary which is extended to Bhadohi, Prayagraj and Mirzapur - Ganga - Area bounded by both banks of river Ganga in the stretch of 30 km. along main stream of River Ganga, Boundaries- East (downstream of the River - Latitude 25.273769, Longitude- 82.287486 falling in Revenue boundary of village Baripur uparwar, Gyanpur of District Bhadohi; West (upstream of the River- Latitude 25.215000, Longitude 82.194814, filling in revenue boundary of village Kotahri, Meja of District Prayagraj; North-Left Bank of River Ganga; South-Right Bank of River Ganga.

10. We find serious violation of environmental laws and that mining leases were granted illegally but no action for damage to environment has been taken by concerned authorities at all.

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज के पत्र सं०-445/15-1 दिनांक 09.08.2024 द्वारा जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा अन्तर्गत स्थित ग्राम भुईपारा कछार के गाटा संख्या-01 के खण्ड संख्या-33 (क्षे० 5 हे०) एवं खण्ड संख्या-34 (क्षे० 5 हे०) तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज के पत्र सं०-436/15-1 दिनांक 08.08.2024 द्वारा ग्राम परानीपुर कछार के गाटा संख्या-2क के खण्ड संख्या-29 (क्षे० 5हे०), गाटा संख्या-2क, 45 के खण्ड संख्या-30 (क्षे० 5हे०) गाटा संख्या-01, 61क के खण्ड संख्या-31 (क्षे० 5हे०) व खण्ड संख्या-32 (क्षे० 5हे०), कछुआ वन्य जीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 किमी०) की परिधि में आता है। अतः मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के विभिन्न आदेशों के आलोक में कछुआ वन्य जीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 किमी०) की परिधि के अन्दर बालू खनन पट्टा हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना सम्भव नहीं बताया गया है।

Sub-Divisional Committee (SDC) की बैठक दिनांक 08.08.2024 के कार्यवृत्त दिनांक 08.08.2024 में वन विभाग के उपरोक्त पत्र के आधार पर उक्त खनन क्षेत्रों को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट-2024 से हटाने की संस्तुति की गयी है।

जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा स्थित ग्राम-परानीपुर-IV (निर्माणाधीन हाई टेंशन लाइन के टावर से परानीपुर मुख्य मार्ग तक) व कंदला-कसौधन (गंगा नदी) खण्ड सं०-32 रकबा 5,00,000 क्षेत्रफल में 1,00,000 घनमीटर वार्षिक साधारण बालू का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु प्रकाशित विज्ञापित दिनांक 08.08.2022 के क्रम में प्राप्त सर्वोच्च दर रू० 90/- प्रति घनमीटर को स्वीकार करते हुए मेसर्स सिंह कन्सल्टिंग प्रो० श्री धीरज सिंह पुत्र श्री कमलाकर सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट-घूरपुर, तहसील-वारा, जनपद-प्रयागराज के पक्ष में पत्र

(3)

सं०-1542/खनिज/2022-23 दिनांक 09.09.2022 द्वारा आशय पत्र (Letter of Intent) जारी किया गया है।

सर्वोच्च बोलीदाता मेसर्स सिंह कन्सट्रक्शन द्वारा उक्त खनन क्षेत्र के लिए प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित नीलामी पट्टा की सकल धनराशि का 45 प्रतिशत धनराशि (जिसमें प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित नीलामी पट्टा की सकल धनराशि का 20 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में एवं प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित नीलामी पट्टा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत प्रतिभूति के रूप में शामिल है) चालान सं०-J600134 दिनांक 06.10.2022 रू० 16,19,600.00 तथा चालान सं०-JL00069 दिनांक 21.10.2022 रू० 24,25,000.00 कुल धनराशि रू० 40,44,600.00 जमा किया गया है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज के उपरोक्त पत्र दिनांक 08.08.2024 के आधार पर जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा स्थित ग्राम-परानीपुर-IV (निर्माणाधीन हाई टेंशन लाइन के टावर से परानीपुर मुख्य मार्ग तक) व कंदला-कसौधन (गंगा नदी) खण्ड सं०-32 रकबा 5.00 हे० क्षेत्रफल, कछुआ वन्य जीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 किमी०) की परिधि में आने के कारण, मा० राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं०-135/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन में उक्त खनन क्षेत्र को खनन परिहार पर व्यवस्थित किये जाने हेतु पत्र सं०-1542/खनिज/2022-23 दिनांक 09.09.2022 द्वारा जारी आशय पत्र (Letter of Intent) को निरस्त किया जाता है। उक्त खनन क्षेत्र हेतु जमा धनराशि के सम्बन्ध में सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा अपने बैंक डिटेल सहित अलग से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में पृथक से आदेश पारित किये जायेंगे।

(नवनीत सिंह चहल)
जिलाधिकारी, प्रयागराज।
21/8/2024

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, लखनऊ।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।
5. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज को उनके पत्र सं०-जी००७७७९/एन०जी०टी०-ओ०ए० नं०-135/2024 दिनांक 16.08.2024 के सन्दर्भ में।
7. मेसर्स सिंह कन्सट्रक्शन प्रो० श्री धीरज सिंह पुत्र श्री कमलाकर सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट-घूरपुर, तहसील-बारा, जनपद-प्रयागराज।

②

(नवनीत सिंह चहल)
जिलाधिकारी, प्रयागराज।
21/8/2024

कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज

(खनन अनुभाग)

पत्रांक: 1691 / खनिज / 2024-25

दिनांक: 22 / 08 / 2024

आदेश

क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज के पत्र सं०-जी००७७७९/एन०जी०टी०-ओ०ए० नं०-135/2024 दिनांक 16.08.2024 द्वारा मा० राष्ट्रीय रहित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-135/2024 खुशबू सिंह बनाम उ०प्र० राज्य में दिनांक 30.07.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में जनपद प्रयागराज क्षेत्र में आने वाले Tirtle Wildlife Sanctuary में यदि कोई माईनिंग लीज जारी की गयी हो, तो तदसम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं०-135/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

7. Simultaneously, by another Gazette notification dated 17 March, 2020. State of Uttar Pradesh declared an area in the stretch of 30 km along sides of Ganga River falling in the districts of Bhadohi, Prayagraj and Mirzapur as Kachhua Wildlife Sanctuary which is extended to Bhadohi, Prayagraj and Mirzapur - Ganga - Area bounded by both banks of river Ganga in the stretch of 30 km. along main stream of River Ganga, Boundaries- East (downstream of the River - Latitude 25.273769, Longitude- 82.287486 falling in Revenue boundary of village Baripur uparwar, Gyanpur of District Bhadohi; West (upstream of the River- Latitude 25.215000, Longitude 82.194814, filling in revenue boundary of village Kotahri, Meja of District Prayagraj; North-Left Bank of River Ganga; South-Right Bank of River Ganga.

10. We find serious violation of environmental laws and that mining leases were granted illegally but no action for damage to environment has been taken by concerned authorities at all.

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज के पत्र सं०-445/15-1 दिनांक 09.08.2024 द्वारा जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा अन्तर्गत स्थित ग्राम भुईपारा कछार के गाटा संख्या-01 के खण्ड संख्या-33 (क्षे० 5 हे०) एवं खण्ड संख्या-34 (क्षे० 5 हे०) तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज के पत्र सं०-436/15-1 दिनांक 08.08.2024 द्वारा ग्राम परानीपुर कछार के गाटा संख्या-2क के खण्ड संख्या-29 (क्षे० 5हे०), गाटा संख्या-2क, 45 के खण्ड संख्या-30 (क्षे० 5हे०) गाटा संख्या-01, 61क के खण्ड संख्या-31 (क्षे० 5हे०) व खण्ड संख्या-32 (क्षे० 5हे०), कछुआ वन्य जीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 किमी०) की परिधि में आता है। अतः मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के विभिन्न आदेशों के आलोक में कछुआ वन्य जीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 किमी०) की परिधि के अन्दर बालू खनन पट्टा हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना सम्भव नहीं बताया गया है।

Sub-Divisional Committee (SDC) की बैठक दिनांक 08.08.2024 के कार्यवृत्त दिनांक 08.08.2024 में वन विभाग के उपरोक्त पत्र के आधार पर उक्त खनन क्षेत्रों को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट-2024 से हटाने की संस्तुति की गयी है।

जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा स्थित ग्राम-परानीपुर उपरहार गंगा नदी खण्ड सं०-33 एकवा 5.00हे० क्षेत्रफल में 1,00,000 घनमीटर वार्षिक साधारण बालू का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु प्रकाशित विज्ञापित दिनांक 01.11.2023 के क्रम में प्राप्त सर्वोच्च दर रु० 66/- प्रति घनमीटर को स्वीकार करते हुए मेसर्स गायत्री कन्सट्रक्शन प्रो० श्रीमती गायत्री सिंह पता फेज-2 सोयेपुर, पाण्डेयपुर, वाराणसी (उ०प्र०) के पक्ष में पत्र सं०-2514/खनिज/2023-24 दिनांक 24.01.2024 द्वारा आशय पत्र (Letter of Intent) जारी किया गया है।

सर्वोच्च बोलीदाता मेसर्स गायत्री कन्सट्रक्शन द्वारा उक्त खनन क्षेत्र के लिए प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित नीलामी पट्टा की सकल धनराशि का 45 प्रतिशत धनराशि (जिसमें प्रथम वर्ष हेतु

निर्धारित नीलामी पट्टा की सकल धनराशि का 20 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में एवं प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित नीलामी पट्टा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत प्रतिभूति के रूप में शामिल है) चालान सं०-B602573 दिनांक 06.02.2024 रू० 16,13,700.00 तथा चालान सं०-B702631 दिनांक 07.02.2024 रू० 13,45,000.00 कुल धनराशि रू० 29,58,700.00 जमा किया गया है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज के उपरोक्त पत्र दिनांक 08.08.2024 के आधार पर जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा स्थित ग्राम-परानीपुर उपरहार गंगा नदी साधारण बालू खण्ड सं०-33 रकबा 5.00 हे०, कछुआ वन्य जीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 किमी०) की परिधि में आने के कारण, मा० राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं०-135/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन में उक्त खनन क्षेत्र को खनन परिहार पर व्यवस्थित किये जाने हेतु मेसर्स गायत्री कन्सल्टेशन प्रो० श्रीमती गायत्री सिंह पता फेज-2 सोयेपुर, पाण्डेयपुर, वाराणसी (उ०प्र०) के पक्ष में पत्र सं०-2514/खनिज /2023-24 दिनांक 24.01.2024 द्वारा जारी आशय पत्र (Letter of Intent) को निरस्त किया जाता है।

उक्त खनन क्षेत्र हेतु जमा धनराशि के सम्बन्ध में सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा अपने बैंक डिटेल सहित अलग से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में पृथक से आदेश पारित किये जायेंगे।

(नवनीत सिंह चहल)
जिलाधिकारी, प्रयागराज।
०/८
२४/०८/२०२४

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, लखनऊ।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।
5. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज को उनके पत्र सं०-जी००७७९/एन०जी०टी०-ओ०ए० नं०-135/2024 दिनांक 16.08.2024 के सन्दर्भ में।
7. मेसर्स गायत्री कन्सल्टेशन प्रो० श्रीमती गायत्री सिंह पता फेज-2 सोयेपुर, पाण्डेयपुर, वाराणसी (उ०प्र०)।

(नवनीत सिंह चहल)
जिलाधिकारी, प्रयागराज।
०/८
२४/०८/२०२४

कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज ।

(खनन अनुभाग)

पत्रांक: 508 /खनिज /2023-24

आदेश

दिनांक: 29/05/2023

जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा स्थित गंगा नदी के बालू खण्ड संख्या-34 (ग्राम भुईपारा, तन्दरिया व गौडरी) रकबा-5.00हे0 क्षेत्र में 05 वर्ष की अवधि के लिए साधारण बालू का खनन पट्टा परिहार पर व्यवस्थित किये जाने हेतु पत्र संख्या-1543/खनिज/2022-23 दिनांक 09.09.2022 द्वारा श्री अरूण कुमार सिंह पुत्र श्री धर्मन्ध प्रताप सिंह निवासी ग्राम माण्डा खारा, टप्पा माण्डा, तहसील-मेजा, जनपद प्रयागराज के पक्ष में लेटर ऑफ इन्टेन्ट निर्गत किया गया है। उक्त निर्गत आशय पत्र के सापेक्ष पर्यावरण निदेशालय द्वारा प्रश्नगत खनन क्षेत्र हेतु पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र संख्या-EC23B001UP195242 File No-7483 दिनांक 24.03.2023 जारी कर दिया गया है। प्राप्त स्वच्छता प्रमाण पत्र के आधार पर प्रश्नगत खनन क्षेत्र का पट्टा विलेख निष्पादन कराये जाने हेतु पत्र संख्या-3515/खनन/2022-23 दिनांक 31.03.2023 द्वारा नियमानुसार वांछित स्टाम्प क्रय कर, डीड टंकित काराकर तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश सर्वोच्च बोलीदाता को दिये गये थे। वांछित स्टाम्प कार्यालय में प्रस्तुत न किये जाने के कारण सर्वोच्च बोलीदाता को पुनः 02 दिन के अन्दर वांछित स्टाम्प तथा टंकित डीड कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु पत्र सं0-390/खनिज/2023-24 दिनांक 09.05.2023 द्वारा निर्देशित किया गया था तथा उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि समयान्तर्गत वांछित स्टाम्प तथा टंकित डीड प्रस्तुत न करने की दशा में उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60(1) के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उक्त पत्र उपरान्त भी सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा स्टाम्प प्रस्तुत न करने के कारण पत्र संख्या-471/खनिज/2023-24 दिनांक 23.05.2023 द्वारा अंतिम नोटिस जारी कर अंतिम अवसर के रूप में दो दिन के अन्दर वांछित स्टाम्प प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त अंतिम नोटिस के क्रम में सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा स्टाम्प प्रस्तुत न कर एक प्रार्थना पत्र दिनांक 24.05.2023 जो कार्यालय में दिनांक 27.05.2023 को प्राप्त हुआ है, जिसमें मुख्यतः Replacement Study करने तथा नियम-17 के तहत सीमांकन कराये जाने का उल्लेख किया गया है। Replacement Study के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि प्रश्नगत खनन क्षेत्र की पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 24.03.2023 को प्राप्त हुआ है, जिसमें उपखनिज की वार्षिक खनन योग्य मात्रा 1,00,000 घनमीटर बताया गया। प्रश्नगत खनन क्षेत्र में अभी कोई खनन कार्य नहीं हुआ है, जिससे Replacement Study की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक खनन क्षेत्र का सीमांकन कराये जाने का प्रश्न है, इस शुक तथा मानचित्र शुक के आधार पर प्रश्नगत खनन क्षेत्र का दिनांक 16.11.2022 को खान निरीक्षक, प्रयागराज द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 24.05.2023 नियमों के अन्तर्गत न होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। फलतः उक्त प्रार्थना पत्र मात्र प्रकरण को लथित रख अनुचित विधि लागू अर्जित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। अतएव उक्त प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुये निरस्तारित किया जाता है।

उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60(1) में निम्न व्यवस्था दी गयी है:-

नियम-60(1) प्रस्तावक, जो आशय पत्र प्राप्त किया हो, तथापि नियम-35 में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार नियत की गयी एक माह की अवधि के भीतर खनन योजना प्रस्तुत नहीं किया हो, या पर्यावरण अनापत्ति स्वीकृत हेतु आवेदन नहीं किया हो, रू0 10,000.00 प्रति दिन की शारिस्त के लिए दायी होगा। शारिस्त की धनराशि, जमा करने में विफल होने पर उस धनराशि को, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित पट्टे के सापेक्ष जमा की गयी प्रतिभूति की धनराशि से कटौती की जायेगी। यदि प्रस्तावक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन करने में विफल हो जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट आशय पत्र निरस्त करने के पश्चात प्रस्तावक द्वारा जमा की गयी प्रथम किश्त और प्रतिभूति धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर लेगा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रश्नगत खनन क्षेत्र हेतु पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र दिनांक 24.03.2023 को निर्गत होने के पश्चात सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा पट्टा विलेख का निष्पादन न कराकर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 का उल्लंघन किया गया है।

अतः जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा स्थित गंगा नदी के बालू खण्ड संख्या-34 (ग्राम भुईपारा, तन्दरिया व गोंडरी) रकबा-5.00हे0 क्षेत्र में 05 वर्ष की अवधि के लिए साधारण बालू का खनन पट्टा परिहार पर व्यवस्थित किये जाने हेतु पत्र संख्या-1543/खनिज/2022-23 दिनांक 09.09.2022 द्वारा श्री अरुण कुमार सिंह पुत्र श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम माण्डा खास, टप्पा माण्डा, तहसील-मेजा, जनपद प्रयागराज के पक्ष में जारी लेटर ऑफ इन्टेन्ट को उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60(1) में दिये प्राविधानों के तहत तद्वारा निरस्त करते हुए प्रश्नगत खनन क्षेत्र हेतु प्रथम किश्त तथा प्रतिभूति के रूप में जमा कुल धनराशि रू0 30,60,000.00 को राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत किया जाता है।

(संजय कुमार खत्री)
जिलाधिकारी, प्रयागराज।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
3. आयुक्त प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
4. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।
5. श्री अरुण कुमार सिंह पुत्र श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम माण्डा खास, टप्पा माण्डा, तहसील-मेजा, जनपद प्रयागराज।

(संजय कुमार खत्री)
जिलाधिकारी, प्रयागराज।
29/10



संदर्भ सं०

Ref. No. H16248/2023/NGT-71/24

Annexure-9

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

102

दिनांक

Date 23/8/24

सेवा में,

मैसर्स श्रीमती शकुन्तला, खण्ड नं०-31,
(ग्राम-परानीपुर-III हाईटेंशन लाइन के टावर से निर्माणाधीन
हाईटेंशन लाइन के टावर तक व कंदला मवैया तक) रकबा-5.0 हे०,
मेजा, हण्डिया,
प्रयागराज।

विषय- मैसर्स श्रीमती शकुन्तला, खण्ड नं०-31, ग्राम-परानीपुर-III हाईटेंशन लाइन के टावर से निर्माणाधीन हाईटेंशन लाइन के टावर तक व कंदला मवैया तक, रकबा-5.0 हे०, मेजा, हण्डिया, प्रयागराज को बालू खनन हेतु राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति जल/वायु आदेश दिनांक 20.05.2023 को निष्प्रभावी किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्रांक जी 00818/एस-642/2024 दिनांक 27.08.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज के आदेश संख्या 1692/खनिज/2024-25 दिनांक 22.08.2024 द्वारा श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री पंजाब सिंह निवासी ग्राम बिसेनपुर, पोस्ट-डोहरिया, थाना-मेजा, जनपद-प्रयागराज के पक्ष में जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा/हण्डिया स्थित गंगा नदी के साधारण बालू खण्ड सं०-31 (ग्राम-परानीपुर-III हाईटेंशन लाइन के टावर से निर्माणाधीन हाईटेंशन लाइन के टावर तक व कंदला मवैया तक) रकबा-5.0 हे० क्षेत्रफल का खनन पट्टा दिनांक 05.01.2022 से 04.01.2027 तक 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत/निष्पादित है, को प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज के पत्र दिनांक 08.08.2024 के आधार पर कछुआ वन्य जीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन (ESZ) की सीमा (10 किमी०) की परिधि में आने के कारण, उक्त खनन पट्टा को निरस्त किया गया है।

आपकी खनन इकाई को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 21/22 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड द्वारा सी०टी०ओ० सर्टिफिकेट Ref No. 182936/UPPCB/Allahabad(UPPCBRO) /CTO/both/PRAYAGRAJ/2023 dated 20.05.2023 बालू खनन हेतु दिनांक 31.12.2027 तक की अवधि हेतु निर्गत किया गया था। उक्त सहमति आदेश में अधिरोपित विशिष्ट शर्त संख्या-03 निम्नानुसार है -

"..... 3. If the lease agreement expired prior to 31.12.2027, then the validity of this CTO shall stand expired simultaneously with the expiry of mining lease....."

खनन इकाई को राज्य बोर्ड द्वारा जारी सी०टी०ओ० सर्टिफिकेट दिनांक 20.05.2023 में अधिरोपित शर्त संख्या 3 तथा कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज के उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 22.08.2024 के माध्यम से खनन पट्टा निरस्त किये जाने के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्र दिनांक 27.08.2024 द्वारा आपकी खनन इकाई मैसर्स श्रीमती शकुन्तला, खण्ड नं०-31, ग्राम-परानीपुर-III हाईटेंशन लाइन के टावर से निर्माणाधीन हाईटेंशन लाइन के टावर तक व कंदला मवैया तक, रकबा-5.0 हे०, मेजा, हण्डिया, प्रयागराज को बालू खनन हेतु राज्य बोर्ड से निर्गत सी०टी०ओ० सर्टिफिकेट दिनांक 20.05.2023 को रिवोक/खण्डित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्र दिनांक 27.08.2024 द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति के दृष्टिगत जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत आपकी खनन इकाई मैसर्स श्रीमती शकुन्तला, खण्ड नं०-31, ग्राम-परानीपुर-III हाईटेंशन लाइन के टावर से निर्माणाधीन हाईटेंशन लाइन के टावर तक व कंदला मवैया तक, रकबा-5.0 हे०, मेजा, हण्डिया, प्रयागराज को बालू खनन हेतु राज्य बोर्ड से निर्गत सी०टी०ओ० सर्टिफिकेट दिनांक 20.05.2023 को अग्रिम आदेशों तक निष्प्रभावी किया जाता है तथा उक्त स्थल पर लीज आवंटन के सम्बंध में भविष्य में कोई आदेश जारी होने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि-क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गौमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : Info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : Info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com



संदर्भ सं०

Ref. No.H16249.../21/NGT-71/24

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date ...23/8/24...

सेवा में,

मेसर्स श्री अरुण कुमार सिंह,
गाटा संख्या 34, ग्राम-भुईपारा, गोंडरी, तहसील-मेजा,
जनपद-प्रयागराज

विषय- मेसर्स श्री अरुण कुमार सिंह, गाटा संख्या 34, ग्राम-भुईपारा, गोंडरी, तहसील-मेजा, जनपद-प्रयागराज को बालू खनन हेतु राज्य बोर्ड से निर्गत सहगति जल/वायु आदेश दिनांक 30.06.2023 को निष्प्रभावी किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्रांक जी 00819/ए-282/2024 दिनांक 27.08.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज के आदेश संख्या 1703/खनिज/2024-25 दिनांक 23.08.2024 द्वारा जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा स्थित गंगा नदी के बालू खण्ड सं०-34 ग्राम-भुईपारा, गोंडरी, तहसील-मेजा, जनपद-प्रयागराज रकबा-5.0 हे० क्षेत्र में 05 वर्ष की अवधि के लिये साधारण बालू का खनन पट्ट परिहार पर व्यवस्थित किये जाने हेतु पत्र संख्या 1543/खनिज/2022-23 दिनांक 09.09.2022 द्वारा श्री अरुण कुमार सिंह पुत्र श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम गाण्डा खास, टप्पा माण्डा, तहसील-मेजा, जनपद-प्रयागराज के पक्ष में जारी लेटर ऑफ इन्टेन्ट को उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम 60(1) में दिये गये प्राविधानों के तहत निरस्त किया गया है।

आपकी खनन इकाई को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 21/22 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड द्वारा सी०टी०ओ० सर्टिफिकेट Ref No. 182188/Uppcb/Allahabad(Uppcbro) /CTO/both/PRAYAGRAJ/2023 dated 30-06-2023 बालू खनन हेतु दिनांक 31.12.2027 तक की अवधि हेतु निर्गत किया गया था। उक्त सहगति आदेश में अधिरोपित विशिष्ट शर्त संख्या-03 निम्नानुसार है -

"..... 3. If the lease agreement expired prior to 31.12.2027, then the validity of this CTO shall stand expired simultaneously with the expiry of mining lease....."

खनन इकाई को राज्य बोर्ड द्वारा जारी सी०टी०ओ० सर्टिफिकेट दिनांक 30.06.2023 में अधिरोपित शर्त संख्या 3 तथा कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज के उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 23.08.2024 के माध्यम से खनन पट्टा निरस्त किये जाने के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्र दिनांक 27.08.2024 द्वारा आपकी खनन इकाई मेसर्स श्री अरुण कुमार सिंह, गाटा संख्या 34, ग्राम-भुईपारा, गोंडरी, तहसील-मेजा, जनपद-प्रयागराज को बालू खनन हेतु राज्य बोर्ड से निर्गत सी०टी०ओ० सर्टिफिकेट दिनांक 30.06.2023 को रिवोक/खण्डित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय अधिकारी, प्रयागराज के पत्र दिनांक 27.08.2024 द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति के दृष्टिगत जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत आपकी खनन इकाई मेसर्स श्री अरुण कुमार सिंह, गाटा संख्या 34, ग्राम-भुईपारा, गोंडरी, तहसील-मेजा, जनपद-प्रयागराज को बालू खनन हेतु राज्य बोर्ड से निर्गत सी०टी०ओ० सर्टिफिकेट दिनांक 30.06.2023 को अग्रिम आदेशों तक निष्प्रभावी किया जाता है तथा उक्त स्थल पर लीज आवंटन के सम्बंध में भविष्य में कोई आदेश जारी होने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि-क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विंग्रुति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com



क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 104

REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिसर कालोनी, सेक्टर-10, योजना संख्या-3, झूँसी, प्रयागराज - 211019

Email-ropravagraj@uppcb.in

पत्रांक 000819 / NPT/A.Na. 135/2024

दिनांक 27/08/2024

सेवा में

ज्येष्ठ खान अधिकारी,

प्रयागराज।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 135/2024 खुरबू सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1703/खनिज/2024-25, दिनांक 23.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से Turtle Wildlife Sanctuary के ईको सेन्सिटिव जॉन (ESZ) की सीमा (10.0 कि0मी0 की परिधि) के अन्तर्गत आच्छादित निम्नवत् 06 खनन क्षेत्र के सन्दर्भ में सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है :-

क्र0 सं0	क्षेत्र का नाम				पूर्व में जारी वन अनापत्ति प्रमाण-पत्र का दिनांक	पट्टा अवधि	अन्युक्ति
	तहसील	ग्राम	खण्ड सं0	रकबा (हे0)			
1.	मेजा/हण्डिया	परानीपुर	29	5.00	06.09.2019	29.11.2018 से 28.11.2023	आदेश सं0-1175/खनिज/ई-नीलामी बालू/2019-20, दिनांक 19.10.2019 द्वारा खनन पट्टा निरस्त कर दिया गया है।
2.	मेजा/हण्डिया	परानीपुर	30	5.00	06.09.2019	06.01.2021 से 05.01.2026	आदेश सं0-1281/खनिज/2023-24, दिनांक 11.07.2024 द्वारा खनन पट्टा निरस्त कर दिया गया है।
3.	मेजा/हण्डिया	परानीपुर	31	5.00	06.09.2019	05.01.2022 से 04.01.2027	आदेश सं0-1692/खनिज/2024-25, दिनांक 22.08.2024 द्वारा खनन पट्टा निरस्त कर दिया गया है।
4.	मेजा	परानीपुर	32	5.00	06.09.2019	-	उक्त खनन क्षेत्र हेतु जारी आशय पत्र सं0-1542/खनिज/2022-23, दिनांक 09.09.2022 को आदेश सं0-1690/खनिज/2024-24, दिनांक 22.08.2024 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
5.	मेजा	परानीपुर	33	5.00	06.09.2019	-	उक्त खनन क्षेत्र हेतु जारी आशय पत्र सं0-2514/खनिज/2023-24, दिनांक 25.01.2024 को आदेश सं0-1691/खनिज/2024-25, दिनांक 22.08.2024 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
6.	मेजा	भूईपारा	34	5.00	06.09.2024	-	उक्त खनन क्षेत्र हेतु जारी आशय पत्र सं0-1545/खनिज/2022-23, दिनांक 09.09.2022 को आदेश सं0-508/खनिज/2023-24 दिनांक 29.05.2023 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में उपरोक्त अंकित खनन क्षेत्र से किये गये बालू खनन की मात्रा, बाजार में मूल्य एवं अवधि का विवरण अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे अवैध खनन के सम्बन्ध में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(डॉ0 स्ना0सी0 शुक्ला)-718124
क्षेत्रीय अधिकारी 0/c

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी महोदय, प्रयागराज।

2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।